न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 25/ 16 वर्ष 2016
जीसीएम संख्या :—2016/00312
बउनवानीः—1. पीरू पुत्र कस्तूरा जाति कंजर निवासी केशव बस्ती कंजर कॉलोनी चौथ का बरवाडा'
बनाम
1. संतरी पुत्र मथुरिया कंजर निवासी केशव बस्ती कंजर कॉलोनी चौथ का बरवाडा
2. कालू पुत्र अनोख्या कजंर निवासी चौथ का बरवाडा (मृतक)
   2/1. श्रीमति शांति पत्नि कालू जाति कंजर
   2/2. पिंकू पुत्र कालू जाति कंजर
   2/3. सिंकू पुत्र कालू जाति कंजर
   2/4. कुमारी सोनम पुत्री कालू कंजर नि0केशव बस्ती कंजर कॉलोनी चौथ का बरवाडा
3. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व निर्णय दिनांक 5.3.2008 पत्रावली संख्या 1268 दायर दिनांक 5.12.2006 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः—1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय/बच्चू सिंह जाट — वकील प्रार्थी
2. श्री हंसराज यादव — वकील अप्रार्थीगण

—: निर्णय :— दिनांक :— 14.11.2024

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.3.2008 पत्रावली संख्या 1268 दायर दिनांक 5.12.2006 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील प्रार्थी पक्ष सुनी गयी, वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश की है।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी पटटा विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि निगरानीकार का पुख्ता रिहायशी मकान कस्बा चौथ का बरवाडा में कंजर बस्ती में स्थित है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि को आबादी भूमि मानते हुए विपक्षी सन्तरी का पुरान कब्जा मानकर आलोच्य पटटा जारी किया गया है वो भूमि प्रार्थी के नाना अनोख्या की खातेदारी की भूमि है तथा वहा वास्तव में काफी साल पहले से प्रार्थी की माता लाडा देवी पत्नि गिरधारी उर्फ किस्तूरा को पत्रावली संख्या 502 दायर दिनांक 2.12.1986 निर्णय दिनांक 28.3.1989 से पटटा जारी किया गया था। उक्त मकान का भूखण्ड प्रार्थी की मॉ द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पिता अनोख्या कंजर से जमीन खरीद कर निर्माण कर अपने परिवार सहित निवास कर रही है। न्यायालय द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा से तलब की गयी मौका स्थिति की रिपोर्ट में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1371 रकबा 0.40 है0 किस्म गै0मु0 आबादी को प्रार्थी की खातेदारी भूमि का भाग माना गया है। जिसपर ग्राम पंचायत को अप्राथी को पटटा जारी करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत को केवल राज्य सरकार द्वारा सेटपार्ट की गयी आबादी भूमि पर पटटा जारी करने का अधिकार है । विवादित भमि पर बने हुए मकान को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाडा मे फौजदारी मुकदमा विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के मकान की विडियो स्थिति व फोटो खिचवाकर ग्राम पंचायत में फर्जी तरीके से संतरी पुत्र मथुरिया कंजर के नाम पटटा जारी करने बाबत आवेदन कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:59:33 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट व गलत सीमाए अंकित कर वार्ड पंचो से मिलकर दिनांक 5.3.2008 को पटटा संख्या 21 प्रार्थी के मकान की सीमाओ का जारी करवाया है जो गलत है, बाद मे प्रार्थी के मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया गया लेकिन कब्जा करने मे सफल नही हो सका। ग्राम पंचायत द्वारा गलत ढंग व पंचायती नियमों के विपरीत पटटा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि उक्त पटटे के स्थान पर प्रार्थी के अलावा किसी का मकान नही है तो फिर पंचायत ने अप्रार्थी को किस स्थान पर पटट जारी किया गया है। प्रार्थी ने अपने धन के बल पर से गलत तरीके से ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा से मिसल संख्या 1268 पटटा संख्या 21 तथा पटटा क्रमांक 10/21 दिनांक 2.4.2008 को मौके पर अप्रार्थी का मकान नही होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 को पटटा जारी किया गया है अर्थात गलत रिपोर्ट पर पटटा जारी किया गया है। पटटे की सीमाऐ इस प्रकार है पूर्व मे आम रास्ता, पश्चिम मे पडत जमीन,उत्तर में पडत जमीन, दक्षिण में पडत जमीन दर्शायी गयी है जो मौका स्थिति के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पटटे से मेल नही खाती है उक्त सीमाऐ प्रार्थी के मकान से मेल खाती है। अप्रार्थी उक्त पटटे की आड में आये दिन नया विवाद खडा करता है। उक्त मकान का पटटा प्रार्थी की मॉ के द्वारा पेनल्टी भरकर नियमानुसार ग्राम पंचायत से पटटा जारी करवाया गया है ओर अपने परिवार सहित निवास कर रही थी जिसकी मृत्यु के बाद प्रार्थी निवास कर रहा है। उक्त मकान का कुछ भाग प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को दे रखा है। यह तर्क भी दिया कि विवादित पटटे की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 5.9.2016 को होने पर दिनांक 21.9.2016 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद निगरानी पेश की कर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस में अंकित किया कि प्रथम तो निगरानीकार द्वारा यह निगरानी मयाद बाहर एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कि हाल सेटलमेंट के दौरान भू-प्रबंध विभाग द्वारा ग्राम चौथ का बरवाडा के साबिक खसरा नम्बर 288 में स्थित भूमि की गलत तरमीम कर दिये जाने एवं गलत तरमीम के आधार पर ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा की गै0मु0 आबादी भूमि दर्ज है जिसपर वर्षो से अप्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा आवासीय मकान बनाकर स्थायी निवास कर रहे है एवं ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर स्थायी आवास बनाकर रहने वाले लोगो के पक्ष में विधिक प्रकिया का पालन कर पटटे जारी किये गये है उक्त भूमि पर गलत तरमीम के आधार पर साबिक खसरा नम्बर 288 में स्थित प्रार्थी एवं अप्रार्थी की कृषिभूमि एवं ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा की आबादी भूमि का नक्शा जारी कर दिया। विशेष यह है कि प्रार्थी कालू पुत्र अनोख्या कंजर के नाम दर्ज भूमि साबिक खसरा नम्बर 288 किस्म बारानी भूमि के नवीन सेटलमेंट के बाद बने ख0न0 1388 रकबा 0.28 है0 को बारानी दर्ज कर दिया एवं नवीन ख0न0 1371 रकबा 0.40 है0 को गै0मु0 आबादी दर्ज कर गैर खातेदारी का इन्द्राज कर दिया जो गलत है क्योकि प्रथम तो गै0मु0 आबादी भूमि काश्त हेतु आवंटन नही की जा सकती तथा यदि खातेदार या आवेदक स्वंय की कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि रूपान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है तथा कानूनन गैर खातेदार काश्तकार के पक्ष में भूमि रूपान्तरण करवाने हेतु कोई अधिकार पैदा नही होते है उक्त भूमि के सम्परिवर्तन बाबत ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली मे पेश नही किया है इस कारण प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो पर यह निगरानी पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी का आवासीय मकान साबिक ख0न0 288 गै0मु0 आबादी में बना हुआ है परन्तु हाल सेंटलमेंट के बाद साबिक ख0न0 288 से नवीन ख0न0 1369 लगायत 1387 बने है एवं किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज कर ग्राम पंचायत की भूमि का नक्शा गलत दर्ज कर दिया एवं प्रार्थी की गैर खातेदारी की भूमि साबिक ख0न0 288 से बने नवीन ख0न0 1371 रकबा 0.40 है0 को गै0मु0 आबादी में दर्ज कर दिया जो बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तरमीम कर किस्म परिवर्तन की है जो गलत है। प्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा विलेख संख्या 10/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:59:33 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner